2023/310

7/12/23

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 125/2023
जीसीएमएसनं. :— 2023/310

बनाम

वादीगण :—
1. देवीसिंह पुत्र मोहनराम
2. दिनेश पुत्र मोहनराम
3. प्रेमलता पुत्री मोहनराम
4. मंजु पुत्री मोहनराम
5. संतोष पुत्री मोहनराम
6. शारदा पुत्री मोहनराम
7. कानुड़ी पुत्री मोहनराम
8. गोदावरी पत्नि मोहनराम

सभी जातियान माली निवासीयान पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर हाल निवास चौखा, तहसील व जिला जोधपुर।

प्रतिवादी :—
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :— 04.12.2023

''आदेश''

दिनांक : 21/08/2025

वदीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीगण के पिता मोहनराम पुत्र सुजाराम व अन्य की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1327/4 क्षेत्रफल 0.2670 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 848 व पुराना 775 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे वादीगण के पिता मोहनराम पुत्र सुजाराम व अन्य की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषिभूमि खसरा नम्बर 1053 क्षेत्रफल 0.5906 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम व खसरा नम्बर 1054 क्षेत्रफल 0.3802 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कुल खसरे 02 कुल क्षेत्रफल 0.9708 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 871 व पुराना 803 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1327/4 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम घरेलू बोलचाल वाला भूराराम पुत्र सुजाराम 1/19 हिस्सा इन्द्राज है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है एवं इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1053 व 1054 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र सुजाराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण का नाम जबकि वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम मोहनराम

पुत्र सुजाराम है वादीगण के पिता/पति का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2019 को हो चुका है जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही की परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम घरेलू बोलचाल वाला व अशुद्ध इन्द्राज होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर नाम दुरुस्त करवाने की सलाह दिनांक 13.10.2023 को दी जिस पर श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है इसलिए वादीगण का उक्त वाद वास्ते सही नाम मोहनराम पुत्र सुजाराम कियेजाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। वादीगण के पिता/पति का नाम घरेलू बोलचाल वाला भूराराम व मोवनराम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश इन्द्राज हो रखा है वादीगण भूराराम पुत्र सुजाराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा मोवनराम पुत्र सुजाराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम की घोषणा करवाने के अधिकारी है। भूराराम पुत्र सुजाराम व मोवनराम पुत्र सुजाराम एक ही व्यक्ति है, ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित अन्य खसरान की भूमि खसरा नम्बर 1077, 1078, 1078/1 में वादीगण के पिता/पति का नाम मोहनराम पुत्र सुजाराम सही इन्द्राज हो रखा है। उनके स्वर्गवास पश्चात् वादीगण के नाम से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 6010 स्वीकृत हो रखा है। जिसकी प्रति संलग्न पेश है। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1327/4 क्षेत्रफल 0.2670 हैक्टेयर में इन्द्राज भूराराम पुत्र सुजाराम 1/19 वां के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/19 वां हिस्सा की घोषणा की डिकी सादिर फरमावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा की डिकी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरानम्बर 1053 क्षेत्रफल 0.5906, खसरानम्बर 1054 क्षेत्रफल 0.3802 हैक्टेयर भूमि में इन्द्राज मोवनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां हिस्सा की घोषणा की डिकी सादिर फरमावें। अन्य अनूतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपाड़ शहर के सरहद में खसरानम्बर 1327/4 रकबा 0.2630 की भूमि मोहनराम पुत्र सुजाराम के नाम से आयी हुई हैं। ग्राम पीपाड़ शहर में वादीगण के पिता के नाम सहखातेदारी में खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.5906 में व खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.3802 में नाम आया हुआ हैं। खसरा नम्बर 1327/4 में वादीगण के पिता कानाम भूराराम पुत्र सुजाराम 1/19 दर्ज है। भूराराम पिता सुजाराम व मोहनराम पिता सुजाराम दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः उपरोक्त खातेदारी में मोहनराम पिता सुजाराम नाम की शुद्धि की जाने की अनुशंषा हैं।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को वादीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषिभूमि खसरानबंर 1327/4 क्षेत्रफल 0.2670 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भूराराम पुत्र सुजाराम 1/19 के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/19 दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं व खसरा नम्बर 1053 क्षैत्रफल 0.5906 व खसरा नम्बर 1054 क्षैत्रफल 0.3802 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम मोवनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादीगण का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषिभूमि 1327/4 क्षेत्रफल 0.2670 हेक्टेयर कृषिभूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भूराराम पुत्र सुजाराम 1/19 के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/19 दुरूस्त कर व खसरानम्बर 1053 क्षैत्रफल 0.5906 व खसरानम्बर 1054 क्षैत्रफल 0.3802 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम मोवनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां के स्थान पर मोहनराम पुत्र सुजाराम 1/12 वां हिस्सा कृषिभूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 21/08/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)